2021/11/26 11:06

भारतीय संविधान की प्रस्तावना
हम,
भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लि
तथा उन सबमें,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और
अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली,
बन्धुता बढ़ाने के लिए,
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान-सभा
तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
2021/11/26 11:05

2021/11/26 11:05

2021/11/26 11:04